[30/12/2020]

परिशिष्ट

प्रश्न संख्या [क्र. 269]

विधानसभा सत्र दिसंबर 2020 तारांकित प्रश्न क्रमांक 269 द्वारा मान. विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले
मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4

4. छूट.-

(1) पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करनें के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान(लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी :

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुँओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा।

(3) अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रायल्टी/प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय - दो

नवीन रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किया जाना एवं समूह बनाया जाना

5. (1) **रेत खदानों का सीमांकन** - कलक्टर, प्रदेश की नदियों या अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित, चिन्हित की जाएगी :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में यथा अपेक्षित इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संशोधन किया जा सकेगा।

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म प्र. शासन
खनिज साधन विभाग